अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, राजस्थान

13-14, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

दिनांक:18.08.2024

प्रेस नोट

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01 अगस्त 2024 के विरुद्ध अनुसूचित जाति, जनजाति समाज द्वारा शांतिपूर्ण भारत बंद।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01 अगस्त 2024 से प्रदेश का अनुसूचित जाति, जनजाति समाज आक्रोशित है, अतः दिनांक 21 अगस्त 2024 को भारत बंद के आह्वान को राजस्थान प्रदेश में शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, राजस्थान का गठन किया गया है।

1) भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति के विषय में अनुच्छेद 341,342 है। वे उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन केवल भारतीय संसद व महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जा सकता है। इस निर्णय द्वारा उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को इन अनुच्छेदों में संशोधन के अधिकार दिए हैं, वे असंवैधानिक एवं अस्वीकार्य है।
2) पंजाब सरकार की रिट संख्या 2317/2011 केवल उप वर्गीकरण के विषय में थी और उच्चतम न्यायालय को केवल इस पर ही निर्णय देना था। किन्तु माननीय न्यायालय ने रिट के विषय से बाहर जाकर अनावश्यक रूप से क्रीमीलेयर पर मत व्यक्त कर समाज को विभाजित करने का माहौल तैयार किया है जो अस्वीकार्य है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इंदिरा साहनी प्रकरण में उच्चतम न्यायलय की नौ सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि क्रीमीलेयर का सिद्धांत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग पर लागू नहीं किया जा सकता है।
3) इसी प्रकार पंजाब सरकार की रिट के विषय से हटकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने वन-टाइम आरक्षण का मत व्यक्त करके नए विवाद को जन्म दिया है जो समाज को अस्वीकार्य है।
4) समाज का कटु अनुभव है कि एससी एसटी वर्ग के आरक्षण की रक्षा करने की जगह सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर आरक्षण को कमजोर एवं समाप्त करने के निर्णय पारित किये हैं जिन्हें भारत की संसद ने संविधान संशोधन कर आरक्षण को अक्षुण बनाये रखा है। अतः समाज की मांग है कि आरक्षण के प्रावधानों को केन्द्रीय अधिनियम के

अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, राजस्थान

13-14, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

माध्यम से सुरक्षित किया जाकर संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जावे ताकि न्यायपालिका भविष्य में हस्तक्षेप नहीं कर सके।

बंद से संबंधित सूचना

1) बंद के दौरान प्रदेश में सभी बाजारों को बंद रखने के लिए समस्त व्यापारिक संगठनों एवं नागरिकों से सहयोग की अपील की जाती है। किंतु जनहित में समस्त आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएँ जैसे चिकित्सा, पेयजल, शिक्षण संस्थाएं, सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवा, पेट्रोल पंप, विद्युत्, बैंक आदि बंद से मुक्त रहेंगे।
2) बंद के समर्थन में एक शांति/सद्भावना मार्च आयोजित की जाएगी, जो रामनिवास बाग से प्रारम्भ होकर चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, सांगानेरी गेट, MI रोड होते हुए रामनिवास बाग में विसर्जित होगी। इसके पश्चात् समिति का प्रतिनिधि मण्डल मांगो के विषय में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देगा।
3) भारत बंद का समर्थन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समाज के विभिन्न संगठनों ने किया है।
4) भारत बंद किसी भी अन्य वर्ग, समुदाय,समाज अथवा जाति के विरुद्ध नही होकर केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है और सभी समाजों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।
5) बंद के दौरान जिला एवं पुलिस प्रशासन से भी अपेक्षा की जाती है कि समाज के प्रजातान्त्रिक एवं शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार में सहयोग करेंगें व किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो उसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करेंगें।
6) भारत बंद में सम्मिलित हो रहे समाज के सभी संगठनों एवं सदस्यों से अपील की जाती है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर बंद को सफल बनावें, हर स्थिति में शांति बनाए रखें।

भवदीय

जीएस सोमावत
सदस्य सचिव
मो. 9785000208

हरसहाय मीना
मो. 9829071321

जे.पी.विमल IAS(Retd)
संयोजक
मो. 9414027400